



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232229
CG-DL-E-29122021-232229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]
No. 681]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2021/पौष 6, 1943
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2021/PAUSA 6, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27, दिसम्बर, 2021

फा. सं. एमएंडएमपी/अधिसूचना(05)/एफएसएसएआई-2019.- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2020 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फ. सं. एमएंडएमपी/अधिसूचना(05)/एफ.एस.एस.ए.आई-2019, तारीख 21 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 30 जुलाई, 2020 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) छठा संशोधन विनियम, 2021 है।

(2) ये राज्यपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, खाद्य कारोबार प्रचालकों को 1 जुलाई, 2022 इन विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। घी के फैटी एसिड संरचना का अनिवार्य अनुपालन इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.1 के,-

(1) दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए सामान्य मानकों से संबंधित उपविनियम 2.1.1 की,-

(i) मद 1 की उपमद (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“(कक) डेयरी के संदर्भ में विनियम 2.1 में यथानिर्दिष्ट सदृश उत्पाद से वह उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें दूध से न व्युत्पन्न हुए संघटक किसी दुग्ध संघटक(कों) का आंशिक या संपूर्ण रूप में स्थान ले लेते हैं और अंत्य उत्पाद ऐंटीरियोग्राही और/या कार्यात्मक रूप से इन विनियमों में यथापरिभासित दूध या दुग्ध उत्पाद या सम्मिश्र दुग्ध उत्पाद जैसा होता है।

टिप्पण.- कतिपय डेयरी उत्पादों और केवल दूध से न व्युत्पन्न हुए अन्य संघटकों के अधिमिश्रण, जिसका विक्रय खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के अनुसार प्रतिषिद्ध हैं और इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं हैं।”;

(ii) मद 3 की उपमद (च) के खंड (i) के अंत में निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु इन विनियमों के प्रयोजन के लिए ‘डेयरी के संदर्भ में सदृश उत्पाद’ इन विनियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार दूध, दुग्ध उत्पाद या सम्मिश्र दुग्ध उत्पाद नहीं माने जाते हैं।”;

(iii) मद 3 की उपमद (च) के खंड (ii) के पहले पैराग्राफ में ‘इन उत्पादों में से एक या अधिक’ शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“जब तक इन विनियमों या खाद्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित अन्य सुसंगत विनियमों में अंतः उपबंधित न हो”;

(iv) पूर्व पैकड खाद्यों की लेबलिंग से संबंधित मद 5 के विद्यमान पाठ के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

(क) “इस उपविनियम की मद 1 की उप-मद ख, ड, च, ज और ठ में यथापरिभाषित सभी दूध और दुग्ध उत्पादों, मिश्र दुग्ध उत्पादों सहित, के लेबल पर निम्नलिखित लोगों विशिष्ट रूप से अंकित होगा:



(ख) “डेयरी के संदर्भ में सदृश उत्पाद’ के लेबल पर उत्पाद के नाम के एकदम साथ निम्नलिखित घोषणा की जाएगी, अर्थात्,-

“(क) उत्पाद में दुग्ध संघटक का स्थान लेने वाले दूध से न व्युत्पन्न ऐसे प्रत्येक संघटक के संबंध में:

“.....युक्त”

खाली जगह में संघटक का नाम और उसका स्रोत लिखा जाए।”

(ख) ऐसे प्रत्येक दुग्ध संघटक के संबंध में, जिसका उत्पाद में दूध से न व्युत्पन्न संघटक द्वारा पूरी तरह स्थान ले लिया जाता है:

“कोई दुग्ध नहीं”

खाली जगह में संघटक का नाम लिखा जाए।”

(2) दुग्ध वसा उत्पाद मानक से संबंधित उपविनियम 2.1.8 की 'अनिवार्य संघटन और गुणवत्ता संबंधी घटक' से संबंधित मद 2 की विद्यमान सारणियों और उपमद '(ख) संरचना' के नीचे दिए गए पाठ के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्,-

“मानदंड	दुग्ध वसा, मक्खन तेल	निर्जल दुग्ध वसा, निर्जल मक्खन तेल	घी
आर्द्रता, अधिकतम, % (द्रव्यमान अनुसार)	0.4	0.1	0.5
दुग्ध वसा, न्यूनतम, % (द्रव्यमान अनुसार)	99.6	99.8	99.5
40°C पर ब्यूटीरो-अपवर्तनांकमापी रीडिंग	40.0 से 44.0	40.0 से 44.0	40.0 से 44.0
रीचर्ट मेसी मान, न्यूनतम	24.0	24.0	24.0
पोलेस्की मान	0.5-2.0	0.5-2.0	0.5-2.0
एफएफए, ओलीक एसिड के रूप में, अधिकतम, %	0.4	0.3	2.0
परऑक्साइड मॉन (ऑक्सीजन/किग्रा वसा का मिली समतुल्य), अधिकतम	0.6	0.3	-
बोदोई परीक्षण	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव
आयोडीन मान	-	-	25-38
साबुनीकरण मान	-	-	205-235
β-साइटोस्टेरॉल की उपस्थिति	न हो*	न हो*	न हो*
फैटी एसिड प्रोफाइल	-	-	उत्पाद सारणी-1 की अपेक्षाओं में खरा उतरे

*एफ.एस.एस.ए.आई के कार्यालय आदेश सं0 1-90/ एफ.एस.एस.ए.आई/ एसपी/(एमएसएंडए)/2009, दिनांक 25 मार्च, 2019 द्वारा यथा अधिसूचित आरपी-एचपीएलसी पद्धति द्वारा घी में वनस्पति तेल का अपमिश्रण अवधारण करने की पद्धति।

सारणी 1. जीएलसी पद्धति द्वारा यथा अवधारित घी की वसीय अम्ल संघटन (कुल वसीय अम्लों के प्रति शत के रूप में व्यक्त)

वसीय अम्ल का प्रकार	वसीय अम्ल का संघटन (प्रतिशतता)
सैच्युरेटेड फैटी एसिड	
सी4:0, ब्यूटीरिक एसिड	1-5
सी6:0, हेक्सानोइक एसिड (कैप्रोइक एसिड)	0.5-2.2

सी8:0, ओक्टेनिक एसिड (कैप्रिलिक एसिड)	0.4-1.5
सी10:0, डिकैनाइक एसिड (कैप्रिक एसिड)	0.8-5
सी12:0, डोडेकानोइक एसिड (लौरिक एसिड)	1.5-4
सी14:0, टेट्राडेकानोइक एसिड (माइरिस्टिक एसिड)	6-13
सी16:0, हेक्साडेकानोइक एसिड (पॉलिमटोलीक एसिड)	22-38
सी18:0, ओक्टाडेकानोइक एसिड (स्टीरिक एसिड)	8-19
मोनो-अनसैच्युरेटिड फैटी एसिड	
सी16:1 (सिस 9) (हेक्साडेकानोइक एसिड (पॉलिमटोलीक एसिड))	0.9-2.8
सी18:1(सिस 9) 9-ओक्टाडेसिनोइक एसिड (ओलीक एसिड)	19-32
पॉलि-अनसैच्युरेटिड फैटी एसिड	
सी18:2 (सिस 9, 12), 9,12-ओक्टाडेकाडीनोइक एसिड (लाइनोलेनीक एसिड)	0.5-3.5
सी18:3 (सिस 9,12,15) 9,12,15-ओक्टाडेकाट्रिनोइक एसिड	0.3-1.0"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./543/2021-22]

टिप्पण.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गयी थी; -

- 1) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- 2) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- 3) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- 4) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- 5) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई°पीएएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- 6) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- 7) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 8) फा.सं.पी°15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 9) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 10) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 11) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 12) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिशएंडफिशरिजप्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- 13) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्यसहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- 14) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- 15) फा. सं° 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई- 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;

- 16) फा.सं.1-12/मानक/एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- 17) फा.सं.1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- 18) एफ. सं. /11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016;
- 19) फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
- 20) फा.सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 21) एफसं. 1-110(2)/एसपी (जैविकखतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 22) फा. सं. मानक/एसपी(जलएवंपेय)/अधि.(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्टूबर, 2016;
- 23) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जलऔरसुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;
- 24) फा.सं. पी./15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;
- 25) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;
- 26) फा. सं. मानक/ओ.एंडएफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;
- 27) फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 28) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्यऔरमत्स्यउत्पाद) एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 29) फाइल सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- 30) फाइल सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून, 2017;
- 31) फा.सं.1/योजक/मानक/14.2.अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016 तारीख 31 जुलाई, 2017;
- 32) फा. सं. मानक/एफएवंवीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017
- 33) फाइल सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;
- 34) फा.सं. मानक/एम. एंडएम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 35) फा. सं मानक/एसपी (पानीएवंपेय)/अधि. (1)/एफएसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 36) फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछलीऔरमछलीउत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 37) फा. सं. 2/मानक/सीपीएल&सीपी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;
- 38) फा. सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- 39) फा. सं. मानक/ओ एवं एफ/अधिसूचना/एफएसएसआई-2016, 12 अक्टूबर, 2017;
- 40) फा.सं. 2/स्टैंडस/सीपीएल&सीपी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016(भाग), तारीख 24 अक्टूबर, 2017;
- 41) फा.सं.ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 42) फा. 1/योजक/मानक/वीआईएस अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016 तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 43) फा.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017, 2016 तारीख 20 फरवरी, 2018;
- 44) फा.सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी(फोर्टीफाईड और एनरिचड फूड)-रेग/एफ एस एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;
- 45) स.1/शिशुपोषण/मानक/अधिसूचना/भा.खा.सु.माँ.प्रा/2016 तारीख 13 मार्च, 2018;

- 46) फा. सं. 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;
- 47) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एससीएसएस एंड एच /अधिसूचना (03)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;
- 48) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ सीपीएल एंड सीपी –एफएसएसएआई/अधिसूचना/ 2016, तारीख 4 मई, 2018;
- 49) फाइल सं० मानक/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस/लोलीस अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 50) फा. सं. मानक/एसपी(जल और सुपेय) अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 51) मानक/सीपीएलऔरसीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;
- 52) फाइल सं० 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य /स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 8 नवंबर, 2018;
- 53) फा. सं. मानक/03/अधिसूचना (सीएफओआई तथा वाईसी)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 16 नवंबर, 2018;
- 54) फा. सं. मानक/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(7)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 55) फा. सं. मानक/एम एंड एमपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 56) फा. सं. मानक/एफ&वीपी/अधिसूचना(04)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 57) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/नोटिफिकेशंस/2010-एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 26 नवम्बर, 2018;
- 58) फा. सं. 02-01/ ईएनएफ-1 (1)/एफएसएसएआई-2012, तारीख 29 जनवरी, 2019;
- 59) फा. सं. एसटीडीएस/एफ एंड वीपी/अधिसूचना(07)/एफएसएसएआई-2018, तारीख 5 जुलाई, 2019;
- 60) फा. सं. मानक/ओ एवं एफ/ अधिसूचना (10)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 5 जुलाई, 2019;
- 61) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी(जल और पेय)/अधिसूचना(5)एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 30 अक्टूबर 2019;
- 62) फा. सं. एम एंड एमपी/विविध मानक/अधिसूचना (03)/एफएसएसएआई-2018, तारीख 28 नवंबर, 2019;
- 63) फा. सं. 1-110/एसपी(जैविक खतरे)/संशोधन-1/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 23 जून, 2020;
- 64) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सीपीएलएंडसीपी/अधिसूचना/01/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 9 जुलाई, 2020;
- 65) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सीपीएल एंड सीपी/अधिसूचना/01/एफएसएसएआई-2017, तारीख 9 जुलाई, 2020;
- 66) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एमएंडएमपीआईपी(3)/एसपी/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 9 जुलाई, 2020;
- 67) फाइल सं० ए-1/स्टैंडर्ड्स/एममार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई (पी+1), तारीख 23 जुलाई, 2020;
- 68) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एम एंड एमरी/अधिसूचना (04)/एफ.एस.एस.ए.आई-2019, तारीख 2 सितंबर, 2020;
- 69) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एडिटिव्स-1/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 16 सितंबर, 2020;
- 70) फा. सं. 1/ अतिरिक्त सहयोज्य-III/मानक/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2017, तारीख 9 अक्टूबर, 2020
- 71) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/प्रोसेसिंग एड्स/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई/2018, तारीख 9 अक्टूबर, 2020;
- 72) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना/2010-एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 29 दिसम्बर, 2020;
- 73) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना 27/2010-एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 4 मार्च, 2021;
- 74) फाईल संख्या मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 18 मार्च, 2021 और
- 75) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना 28.4/2010/एफएसएसएआई(1), तारीख 26 जुलाई, 2021.

76) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना 28.4/2010-एफएसएसएआई (1), तारीख 3 नवम्बर, 2021; और

77) फा. सं. मानक/वैज्ञानिक समिति/ए-1.34/एन-1, तारीख 15 नवम्बर, 2021.

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2021

F. No. M&MP/Notification(05)/FSSAI-2019.-Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2020, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. M&MP/Notification (05)/FSSAI-2019, dated the 21st July, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 30th July, 2020;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Sixth Amendment Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2022 except for fatty acid contents for ghee which shall come into force after two years of the publication of these regulations in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 in regulation 2.1-,
 - (1) in sub-regulation 2.1.1 related to the General Standards for Milk and Milk Products,
 - (i) in item 1, after sub-item (a), following shall be inserted, namely:-

“(aa) Analogue in the dairy context, as referred to in the Regulation 2.1, means a product in which constituents not derived from milk take the place, in part or in whole, of any milk constituent(s) and the final product resembles, organoleptically and/or functionally, milk or milk product or composite milk product as defined in these regulations.”

Note: The admixtures of certain dairy products and other ingredients not exclusively derived from milk, sale of which are prohibited as per Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011 are excluded from this definition.”;
 - (ii) in item 3, sub-item (f), following shall be inserted at the end of clause (i), namely:-

“Provided that for the purpose of these Regulations, ‘Analogues in the dairy context’ are not considered milk, milk products or composite milk products as defined in these regulations.”;
 - (iii) in item 3, sub-item (f), clause (ii), following shall be added in the first paragraph after the word ‘one or more of these products’

“unless provided otherwise in these regulations or other relevant regulations established by the Food Authority.”;
 - (iv) in item 5, relating to labeling of pre-packaged foods, after the existing text, following shall be inserted, namely:-
 - (a) “All milk and milk products, including composite milk products, as defined in sub-item b, e, f, h and i of item 1 of this sub-regulation shall exclusively use the following logo on the product label.



- (b) Following declaration shall be made on the label of ‘Analogues in the dairy context’, in close proximity of the name of the product, namely:

“(a) In respect of each such constituent not derived from milk that takes place of a milk constituent in the product:

“Contains

Blank to be filled with name of the constituent including the source

- (b) In respect of each such milk constituent whose place is fully taken over by a constituent not derived from milk in the product:

“Contains no milk

Blank to be filled with name of the constituent”

- (2) In sub-regulation 2.1.8 related to the Standard for Milk Fat Products, in item 2 relating to Essential Composition and Quality Factors, the existing tables and text under sub-item (b) Composition, shall be substituted with the following, namely:-

“Parameter	Milk Fat, Butter Oil	Anhydrous Milk Fat, Anhydrous Butter Oil	Ghee
Moisture, maximum, %, (m/m)	0.4	0.1	0.5
Milk fat, minimum, %, (m/m)	99.6	99.8	99.5
Butyro-refractometer Reading at 40 °C	40.0 to 44.0	40.0 to 44.0	40.0 to 44.0
Reichert Meissl Value, minimum	24.0	24.0	24.0
Polenske Value	0.5 -2.0	0.5 -2.0	0.5 -2.0
FFA as Oleic Acid,	0.4	0.3	2.0

maximum, %			
Peroxide Value (Milli-equivalent of Oxygen/Kg fat), maximum	0.6	0.3	-
Baudouin Test	Negative	Negative	Negative
Iodine Value	-	-	25-38
Saponification value	-	-	205-235
Presence of β -sitosterol	Absent*	Absent*	Absent*
Fatty acid profile	-	-	<u>The product shall meet the requirement of Table 1</u>

*Method for determination of adulteration of vegetable oil in ghee by RP-HPLC as notified vide FSSAI Office Order: File No. 1-90/FSSAI/SP (MS&A)/2009 dated 25th March, 2019

Table 1. The fatty acid composition of ghee as determined by GLC (expressed as percentage of total fatty acids)

Type of fatty acid	Fatty acid composition (percentage)
Saturated fatty acids	
C4:0, Butyric acid	1 -5
C6:0, Hexanoic acid (Caproic acid)	0.5 – 2.2
C8:0, Octanoic acid (Cacrylic acid)	0.4 – 1.5
C10:0, Decanoic acid (Capric acid)	0.8- 5
C12:0, Dodecanoic acid (Lauric acid)	1.5 - 4
C14:0, Tetradecanoic acid (Myristic acid)	6- 13
C16:0, Hexadecanoic acid (Palmitic acid)	22-38
C18:0, Octadecanoic acid (Stearic acid)	8-19
Mono- unsaturated fatty acids	
C16:1 (Cis 9), (Hexadecanoic acid (Palmitoleic acid)	0.9-2.8
C18:1 (cis 9) 9-Octadecenoic acid (Oleic acid)	19-32
Poly- unsaturated fatty acids	
C18:2 (cis 9,12), 9,12-Octadecadienoic acid (Linoleic acid)	0.5-3.5
C18:3 (cis 9,12,15) 9,12,15-Octadecatrienoic acid	0.3-1.0”.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./543/2021-22]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification.

- 1) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- 2) F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- 3) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
- 4) F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;

- 5) F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
- 6) F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
- 7) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 8) F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 9) F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
- 10) F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
- 11) F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
- 12) F.No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
- 13) No. 3-16/Specified Foods/Notification(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- 14) F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
- 15) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- 16) F.No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
- 17) F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
- 18) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- 19) F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- 20) F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- 21) F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
- 22) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
- 23) F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
- 24) F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
- 25) F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
- 26) F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
- 27) F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
- 28) F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
- 29) F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
- 30) F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
- 31) F.No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
- 32) F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;
- 33) F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
- 34) F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;
- 35) No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;
- 36) F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September, 2017;
- 37) File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
- 38) F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
- 39) F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;
- 40) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;
- 41) F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;
- 42) F.No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;
- 43) F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February , 2018;
- 44) F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;
- 45) F. No. 1/Infant Nutrition/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated 13th March, 2018;

- 46) F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;
- 47) File No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;
- 48) No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;
- 49) F.No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, Dated 20th July,2018;
- 50) F.No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, Dated 20th July,2018;
- 51) Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, Dated 31st July, 2018;
- 52) File No.1/Additional Additives/Stds/Notification/FSSAI/2016, Dated 8th November, 2018;
- 53) F.No. Stds/03/Notification (CFOI&YC)/FSSAI-2017, Dated 16th November, 2018.
- 54) F. No. Stds/O&F/Notification (7)/FSSAI-2017, dated 19th November, 2018;
- 55) F.No. Stds/M&MP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;
- 56) F. No. Stds/F&VP/Notifications (04)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;
- 57) F. No. 1-116/Scientific Committee (Noti.)/2010-FSSAI, dated 26thNovember, 2018;
- 58) F. No. 02-01/Enf-1(1)/FSSAI-2012, dated 29th January, 2019;
- 59) F.No. Stds/F&VP/Notification (07)/FSSAI-2018, dated 5th July, 2019;
- 60) F.No.Stds/O&F/Notification(10)/FSSAI-2017, dated 5th July, 2019;
- 61) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notification(5) FSSAI-2018, dated 30th October, 2019 ;
- 62) F.No. M&MP/Misc. Stds/Notification (03)/FSSAI-2018, dated 28th November, 2019;
- 63) F.No.1-110/SP (Biological Hazards)/Amendment-1/FSSAI/2018, dated 23rd June, 2020;
- 64) F. No. Stds/CPL & CP/Notification/01/FSSAI-2018, dated 9th July, 2020;
- 65) F. No. Stds/CPL & CP/Notification/01/FSSAI-2017, dated 9th July, 2020;
- 66) F. No. Stds/ M&MPIP (3)/SP/FSSAI-2018, dated 9th July, 2020;
- 67) F.No.A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI (p+1) , dated 23rd July, 2020;
- 68) F. No. Stds./M&MP/Notification (04)/FSSAI-2019, dated 2nd September, 2020;
- 69) F. No. Stds/Additives-1/Notification/FSSAI/2018, dated 16th September, 2020;
- 70) F. No. 1/Additional Additives-III/Stds/Notification/FSSAI/2017, dated 9th October, 2020;
- 71) F. No. Stds/Processing aids/Notification/FSSAI/2018, dated 9th October, 2020;
- 72) File No. 1-116/Scientific Committee/Notif./2010-FSSAI, dated 29th December, 2020;
- 73) F. No. 1-116/Scientific Committee/Notif.27/2010-FSSAI(E), dated 4th March, 2021;
- 74) F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2017, dated 18th March, 2021;
- 75) F. No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.4/2010-FSSAI (1), dated 26th July, 2021;
- 76) F. No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.4/2010-FSSAI(1) (Pt.F), dated 3rd November, 2021; and
- 77) F. No. Stds/SC/A-1.34/N-1, dated 15th November, 2021.